कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
सिंचाई प्रमंडल, डिहरी
Email – eedddehri@gmail.com

पत्रांक :– /डिहरी, दिनांक :–

अति अल्पकालीन कोटेशन दर आमंत्रण सूचना संख्या 08/2026–2027

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सिंचाई प्रमंडल, डिहरी अंतर्गत संयुक्त कार्यालय भवन, सिचांई सृजन, जल संसाधन विभाग,डिहरी भवन में द्वितीय तल पर सभागार का अवशेष पुनस्थार्पन कार्य हेतु मुहरबंद दर कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

1. कोटेशन आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम:– कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, डिहरी।
2. कोटेशन प्राप्ति की तिथि एवं समय :– दिनांक 05.11.2026के अपराहन् 2:30 बजे तक।
3. कोटेशन प्राप्त करने एवं खोलने का स्थान :– कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, डिहरी
4. कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय :– दिनांक 05.11.2026 को अपराहन् 3:30 बजे।

कार्य की विवरणी :–

क्रं0सं0	कोटेशन का नाम	विवरणी	दर	राशि
1	संयुक्त कार्यालय भवन, सिचांई सृजन, जल संसाधन विभाग,डिहरी भवन में द्वितीय तल पर सभागार का अवशेष पुनस्थार्पन कार्य।	240SQFT FALLS CEILING, FLUTED PANNEL, LIGHTING , 39'X10" ZEBRA BLINDS, 05 PIECE 02 TON A.C LOAD CAPACITY FULL WIRING WITH ELECTTRICAL+ PANNEL BOARD		

शर्त :–

1. कोटेशन दाताओं को पैन कार्ड, आधार कार्ड एवं वस्तु एवं सेवा कर का निबंधन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
2. कोटेशन को बिना कारण बताए स्वीकार/अस्वीकार करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगी।
3. सशर्त कोटेशन दर मान्य नही होगा।
4. कोटेशन दाताओं को कार्य करने के पूर्व संबंधित कार्यालयों का स्थल निरीक्षण कर पूर्णतः अवगत हो लेंगें। कार्य में प्रयुक्त सामग्री हेतु किसी भी प्रकार की ढुलाई दर देय नही होगा।
5. विषयांकित **कार्य की राशि 5.00 लाख (पॉच लाख) के अंतर्गत होना अनिवार्य** है।
6. कोटेशन दर की राशि अंक और शब्द दोनो में लिखना अनिवार्य होगा।
7. कोटेशन के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए मोबाईल संख्या 7004551844 एवं अधोहस्ताक्षरी से कार्यालय अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।
8. कोटेशनदाता के विपत्र से सभी प्रकार का कटौती सरकारी नियमानूकूल किया जाएगा।
9. कोटेशनदाताओं का दर सभी कर सहित देना अनिवार्य है। अतिरिक्त कोई दर देय नही होगा।
10. कोटेशनदाता से कोटेशन तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड मुहरबंद अलग–अलग लिफाफा में प्राप्त किया जाएगा एवं लिफाफे के उपर स्पष्ट अक्षर में कार्य का नाम अंकित होना चाहिए।
11. कोटेशनदाता के लिफाफे पर कोटेशनदाता का नाम, पता, मोबाईल संख्या, **WHATSAPP** संख्या, एवं **EMAIL** अंकित करना अनिवार्य है।
12. वस्तु एवं सेवा कर (**GST**) वैद्य एवं अद्यतन होना अनिवार्य है। भुगतान के समय कोटेशनदाताओं/आपूतिकर्ता द्वारा जी0एस0टी0 अधिनियम के अधीन अद्यतन विवरणीयॉ दाखिल करने संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
13. कोटेशनदाता/आपूर्तिकर्ता द्वारा उद्धत न्यूनतम दर दाता को कार्य आवंटित किया जाएगा। 01 से अधिक समान न्यूनतम दर का कोटेशन दर प्राप्त होने पर लॉटरी के माध्यम से कार्य आवंटित किया जाएगा।

ह0/–
कार्यपालक अभियंता
सिंचाई प्रमंडल,डिहरी।

पत्रांक :- 1563 /डिहरी, दिनांक :- 23-10-2026

प्रतिलिपि :- जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं दैनिक अखबार में प्रकाशनार्थ समर्पित।

23/10/26

कार्यपालक अभियंता

सिंचाई प्रमंडल,डिहरी

23/10/26